न्यायालय जिला कलक्टर, नागौर

बइजलास–डॉ0 जितेन्द्र कुमार सोनी, आई.ए.एस

म्यूटेशन अपील संख्या –119/2020
जी.सी.एम.एस. पोर्टल नम्बर–2020/00152

अपीलान्ट	बनाम	रेस्पोडेन्ट
बहादूरसिंह पुत्र नारायणसिंह जाति राजपूत निवासी रातड़ी तहसील व जिला नागौर।		राजस्थान राज्य जरिये भूमिधारी तहसीलदार, नागौर।

उपस्थिति :–

1. अपीलान्ट की ओर से वकील श्री भोपालसिंह राठौड़।
2. रेस्पोडेन्ट की ओर से राजपैरोकार श्री ओमप्रकाश पूनिया।

निर्णय **दिनांक : 01-03-2021**

अपीलांट ने यह अपील धारा 75 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 के अन्तर्गत प्रस्तुत की है। अपीलान्ट द्वारा वाके मौजा अलाय के खसरा नम्बर 1287 के संबंध में म्युटेशन प्रविष्टि 1375 जो तहसीलदार नागौर द्वारा दिनांक 11.07.2017 को स्वीकृत किया गया है, से व्यथित होकर यह अपील दिनांक 28.08.2020 को प्रस्तुत की गई है। अपीलान्ट की अपील ताबे उज्र मियाद दर्ज रजिस्टर कर, अधिनस्थ न्यायालय का मूल अभिलेख तलब किया गया व रेस्पोडेण्ट को जरिये सम्मन तलब किया गया।

वकील अपीलान्ट ने मियाद प्रार्थना–पत्र के साथ अपना शपथ–पत्र पेश किया है। वकील अपीलान्ट ने अपनी बहस में कथन किया कि अपीलांट की कब्जासुद खातेदारी की भूमि खेत खसरा नम्बर 1287 रकबा 19 बिस्वा किस्म जमीन बारानी–1 वाके मौजा अलाय तहसील नागौर में स्थित रहती चली आई थी। कालान्तर में मेरे मुव्वकिल ने अपनी खातेदारी की उक्त भूमि 19 बिस्वा में सें 3 बिस्वा 8 बिश्वांसी रकबा दक्षिणी माठ के चिपता हुआ पश्चिमी माठ पर सडक से शुरू होकर पूर्वी माठ की तरफ की भूमि सार्वजनिक प्रयोजनार्थ राज्य सरकार को समर्पित करते हुए जरिये तहसीलदार नागौर के हक में खसरा नम्बर 1287 रकबा 19 बिस्वा में सें 3 बिस्वा 8 बिश्वांसी का समर्पण कर उसका समर्पण पत्र बहक राज्य सरकार जरिये तहसीलदार नागौर के हक में दिनांक 23.06.2016 को निष्पादित कर दिया था। माफिक समर्पण पत्र खसरा नम्बर 1287 रकबा 19 बिस्वा में सें 3 बिस्वा 8 बिश्वांसी का राजस्व रेकर्ड खतौनी में म्युटेशन दर्ज करना चाहिए था मगर म्युटेशन दर्ज करते हुए पटवारी ने लापरवाही बरतते हुए व समर्पण पत्र को ध्यानपूर्वक पढे बिना ही लोक अदालत कैम्प ... अलाय में आनन फानन में हस्तगत म्युटेशन स्वीकृत किया गया जिसमें समर्पित भूमि 3 बिस्वा 8 बिश्वांसी होते हुए भी खसरा नम्बर 1287 का रकबा 13 बिस्वा समर्पित मानकर व बताकर उक्त नामान्तरकरण स्वीकृत कर दिया और नामान्तरकरण की इस त्रुटि की अपीलांट को पहले कोई जानकारी नहीं हो सकी, अपीलांट अधिकतर जयपुर में निवास करता है हाल ही में गांव में ऐसी चर्चा सुनने पर अपीलांट

Signature Not Verified
Digitally signed by Jitendra Kumar Soni
Date: 2021.04.07 15:27:37 IST
Reason: SelfAttested

कलक्टर, नागौर

गांव में आया व राजस्व रेकर्ड खतौनी वगैराह की नकले दिनांक 17.08.2020 को प्राप्त करने पर खतौनी में दर्ज म्युटेशन 13 बिस्वा होने की जानकारी हुई फिर म्युटेशन की प्रमाणित प्रति लेने का आवेदन पेश किया जो प्रमाणित प्रति दिनांक 20.08.2020 को प्राप्त होने पर उसे देखने से सर्वप्रथम इस त्रुटिपूर्वक स्वीकृत नामान्तरकरण की जानकारी होने से तुरन्त कानूनी राय लेकर अपील तैयार करवा कर पेश की है। जिसे जानकारी के दिन से अन्दर मियाद शुमार किया जाना न्याय संगत होने का कथन करते हुए न्याय हित में देरी माफ कर अपील तारीख जानकारी से अन्दर मियाद शुमार करने करने का निवेदन किया। राजपैरोकार ने अपीलान्ट की अपील अन्दर मयाद शुमार करने उन्हे कोई एतराज नहीं होने का कथन किया।

अपीलान्ट द्वारा अपील के साथ प्रस्तुत मयाद प्रार्थना पत्र एवं शपथ पत्र एवं बहस में किये गये कथनों पर विश्वास किया जाना उचित होने से अपीलान्ट/प्रार्थी द्वारा धारा 5 मियाद अधिनियम के तहत प्रस्तुत प्रार्थना को स्वीकार किया जाता है। अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत अपील पर वकुलाय की बहस सुनी गई।

वकुलाय की बहस सुनी गई। वकील अपीलान्ट ने अपील में प्रस्तुत तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि अपीलांट की कब्जासुद खातेदारी की भूमि खेत खसरा नम्बर 1287 रकबा 19 बिस्वा किस्म जमीन बारानी–1 वाके मौजा अलाय तहसील नागौर में स्थित रहती चली आई थी। कालान्तर में मेरे मुव्वकिल ने अपनी खातेदारी की उक्त भूमि 19 बिस्वा में सें 3 बिस्वा 8 बिश्वांसी रकबा दक्षिणी माठ के चिपता हुआ पश्चिमी माठ पर सडक से शुरू होकर पूर्वी माठ की तरफ की भूमि सार्वजनिक प्रयोजनार्थ राज्य सरकार को समर्पित करते हुए राज्य सरकार जरिये तहसीलदार नागौर के हक में खसरा नम्बर 1287 रकबा 19 बिस्वा में से 3 बिस्वा 8 बिश्वांसी का समर्पण कर उसका समर्पण पत्र बहक राज्य सरकार जरिये तहसीलदार नागौर के हक में दिनांक 23.06.2016 को निष्पादित कर दिया जिसमें बाकायदा समर्पित भुभाग की लोकेशन, पडौस दर्ज किये गये तथा महादेव ब्राहमण निवासी अलाय, ताराचंद नाई निवासी अलाय के साख स्वरूप हस्ताक्षर है तथा सरंपच ग्राम पंचायत अलाय के हस्ताक्षर व मोहर लगी हुई है जिसकी प्रति सलग्न पेश है तथा समर्पण हेतु जो आवेदन पेश किया गया उसमें भी खसरा नम्बर 1287 रकबा 19 बिस्वा में सें 3 बिस्वा 8 बिश्वांसी भूमि ही समर्पित करने का लिखा हुआ है इस बाबत तमाम पत्रावली की नकले पेश की गई है, जिसमें 3 बिस्वा 8 बिश्वांसी रकबा ही समर्पित करने का अंकन है।

माफिक समर्पण पत्र खसरा नम्बर 1287 रकबा 19 बिस्वा में सें 3 बिस्वा 8 बिश्वांसी का राजस्व रेकर्ड खतौनी में म्युटेशन दर्ज करना चाहिए था मगर म्युटेशन दर्ज करते समय सहवन से, घोर लापरवाही बरतते हुए व समर्पण पत्र को ध्यानपूर्वक पढे बिना ही आनन फानन में हस्तगत म्युटेशन स्वीकृत किया गया जिसमें समर्पित भुभाग 3 बिस्वा 8 बिश्वांसी होते हुए भी खसरा नम्बर 1287 का रकबा 13 बिस्वा समर्पित मानकर व बताकर उक्त नामान्तरकरण स्वीकृत कर दिया।

नामान्तरकरण जैर अपील कतई गलत, विधि विरूद्ध व मौके की स्थिति व समर्पण पत्र के विपरीत स्वीकृत किया होने से शुरू से ही अवैध [illegible] निरस्त किये जाने योग्य है। म्युटेशन जैर अपील स्वीकृत करने से पूर्व तहसीलदार ने [illegible] पत्र जो उनके हक में हो रखा है उनको ध्यानपूर्वक नहीं पढा और सरसरी तौर पर नामान्तरकरण स्वीकृत करने में भारी भूल की है। अपीलांट ने सदभावना पूर्वक राज हक में अपनी खातेदारी की भूमि खसरा नम्बर 1287 रकबा 19 बिस्वा में सें 3 बिस्वा 8 बिश्वांसी का रकबा समर्पित किया था तो वैसी सुरत में

Signature Not Verified
Digitally signed by Jitendra Kumar Soni
Date: 2021.04.07 15:27:37 IST
Reason: SelfAttested

कलक्टर, नागौर

माफिक समर्पण पत्र उक्त खसरे के समर्पित भूभाग 3 बिस्वा 8 बिश्वांसी की हद तक ही नामान्तरकरण राज हक में करना चाहिए था, रकबा 13 बिस्वा का नामान्तरकरण राज हक में करके अपीलांट को नाजायज क्षति पहुंचाने का कोई विधिक हक अधिकार नहीं था न ही 13 बिस्वा का समर्पण पत्र ही है ऐसी स्थिति में उक्त नामान्तरकरण लापरवाहीपूर्वक स्वीकृत किया होने से गंभीर त्रुटिग्रस्त है। इस कारण इस हद तक अपास्त / निरस्त / संशोधित किये जाने योग्य है।

नामान्तरकरण जैर अपील को इस हद तक अपास्त / निरस्त / संशोधित कर खसरा नम्बर 1287 रकबा 19 बिस्वा में सें 3 बिस्वा 8 बिश्वांसी रकबा की हद तक ही राज हक में नामान्तरकरण करवा कर बकाया रकबा अपीलांट की खातेदारी में पूर्वानुसार दर्ज करवाया जाना आवश्यक व न्याय संगत है व इस हेतु अधिनस्थ तहसीलदार नागौर को उचित आज्ञा / आदेश दिया जाना विधि अनुसार आवश्यक है।

नामान्तरकरण जैर अपील समर्पण पत्र के विपरीत, बिना किसी आधार के गैर कानूनी रूप से भूल, लापरवाही या दुर्भावनापूर्वक स्वीकृत किया होने से स्थिर रहने योग्य नहीं है अपीलांट के विधिक अधिकारों पर भारी कुठाराघात हुआ व हो रहा है जबकि 3 बिस्वा 8 बिश्वांसी के अलावा सम्पूर्ण रकबे पर अपीलांट का कब्जा काश्त उपयोग उपभोग रहता चला आया है मगर खातेदारी अपीलांट के नाम दर्ज नहीं रहने से इस खसरा बाबत सरकारी योजना का अपीलांट लाभ प्राप्त नहीं कर सकता है। ऐसी स्थिति में नामान्तरकरण जैर अपील निरस्त किये जाने योग्य होने का कथन करते हुए अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर हस्तगत विवादित म्युटेशन प्रविष्टि संख्या 1375 / दिनांक 11.07.2017 जो तहसीलदार नागौर द्वारा खसरा नम्बर 1287 रकबा 13 बिस्वा वाके मौजा अलाय बाबत त्रुटिपूर्वक स्वीकृत किया गया होने से उसे अपास्त / निरस्त / संशोधित किया जाकर माफिक समर्पण पत्र उक्त खसरे के रकबा 19 बिस्वा में सें 3 बिस्वा 8 बिश्वांसी की हद तक ही राज हक में म्युटेशन करवाया जाकर शेष रकबा अपीलांट की खातेदारी में पूर्वानुसार दर्ज करने व आवश्यक रेकर्ड दुरुस्ती करने हेतु तहसीलदार नागौर को उचित आज्ञा / आदेश प्रदान करने का निवेदन किया।

राजपैरोकार ने बहस में कथन किया कि प्रकरण में अपीलान्ट द्वारा राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार नागौर के पक्ष में ग्राम अलाय के खेत खसरा नम्बर 1287 रकबा 19 बिस्वा में से रकबा 3.08 बिस्वा भूमि का सार्वजनिक प्रयोजनार्थ राज्य सरकार को दिनांक 23.06.2016 को समर्पित की गई है, परन्तु तहसीलदार नागौर द्वारा समपर्ण पत्र स्वीकृति कमांक–24 दिनांक 23.06.2016 के द्वारा उक्त समर्पण पत्र में समर्पित भूमि 3.08 बिस्वा के स्थान पर 13 बिस्वा भूमि राज हक में लेने का सहवन से उल्लेख कर दिया एवं पटवारी हल्का अलाय को भी समर्पित भूमि 3.08 बिस्वा के स्थान पर 0.13 बीघा अर्थात 13 बिस्वा भूमि को कब्जे राज लेने एवं राजस्व रिकार्ड में सिवाय चल दर्ज कर अमल दरामद करने का आदेश दिये जाने पर पटवारी अलाय द्वारा 0.19 बीघा भूमि में से 0.13 बीघा भूमि का नामान्तरकरण जैर अपील सिवाय चक (राजस्थान सरकार) के पक्ष में [illegible] नामान्तरकरण जैर अपील पर भू–अभिलेख निरीक्षक द्वारा आदेशानुसार [illegible] होने की रिपोर्ट करने पर अधिनस्थ न्यायालय तहसीलदार नागौर द्वारा निर्णय जैर अपील स्वीकार किया गया है, जो निर्णय सहवन से किया जाना प्रतीत होने का [illegible] पुनः नियमानुसार रेकर्ड अनुसार निर्णय पारित करने हेतु अधिनस्थ न्यायालय को रिमाण्ड [illegible] का निवेदन किया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Jitendra Kumar Soni
Date: 2021.04.07 16:27:37 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय जिला कलक्टर नागौर (राजस्थान)
कलक्टर, नागौर

वकुलाय की बहस पर मनन किया। सम्पूर्ण पत्रावली का अद्योपान्त अवलोकन किया। प्रकरण में अपीलान्ट द्वारा राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार नागौर के पक्ष में ग्राम अलाय के खेत खसरा नम्बर 1287 रकबा 19 बिस्वा में से रकबा 3.08 बिस्वा भूमि खेत की दक्षिणी माठ से चिपता हुआ पश्चिमी माठ पर सड़क से शुरू होकर पूर्वी माठ की तरफ की भूमि वाला भाग सार्वजनिक प्रयोजनार्थ राज्य सरकार को जरिये समर्पण पत्र दिनांक 23.06.2016 के समर्पित की गई है। तहसीलदार नागौर के समपर्ण पत्र स्वीकृति कमांक–24 दिनांक 23.06.2016 के अनुसार उक्त समर्पण पत्र में समर्पित भूमि 3.08 बिस्वा के स्थान पर 13 बिस्वा भूमि राज हक में लेने का उल्लेख कर दिया एवं पटवारी हल्का अलाय को भी पत्र दिनांक 23.06.2016 से समर्पित भूमि 3.08 बिस्वा के स्थान पर 0.13 बीघा (अर्थात 13 बिस्वा) भूमि को कब्जे राज लेने एवं राजस्व रिकार्ड में सिवाय चक दर्ज कर अमल दरामद करने का आदेश दिया गया। पटवारी अलाय द्वारा उक्त आदेश की पालना में रकबा 0.19 बीघा (अर्थात 19 बिस्वा) भूमि में से 0.13 बीघा (अर्थात 13 बिस्वा) भूमि का नामान्तरकरण जैर अपील सिवाय चक (राजस्थान सरकार) के पक्ष में भरकर पेश किया। उक्त नामान्तरकरण जैर अपील पर भू–अभिलेख निरीक्षक अलाय द्वारा आदेशानुसार अंकन सही होने की रिपोर्ट अंकित की गई एवं अधिनस्थ न्यायालय तहसीलदार नागौर द्वारा निर्णय जैर अपील स्वीकार किया गया है।

हस्तगत प्रकरण में अपीलान्ट द्वारा वादग्रस्त भूमि में से 3.08 बिस्वा भूमि ही समर्पण पत्र अनुसार राजहक में समर्पित की गई, परन्तु अधिनस्थ न्यायालय द्वारा समर्पित भूमि 3.08 बिस्वा के स्थान पर 13 बिस्वा भूमि का नामान्तरकरण जैर अपील गलत रूप से स्वीकृत कर दिया जाना प्रतीत होता है। अतः प्रकरण पुनः विधि सम्मत निर्णय हेतु अधिनस्थ न्यायालय को निर्देशों के साथ रिमाण्ड किया जाना उचित है।

अतः उपुर्यक्त विवेचन के आधार पर अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत यह अपील आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है। अधिनस्थ न्यायालय तहसीलदार नागौर द्वारा पारित निर्णय जैर अपील निरस्त किया जाता है। प्रकरण अधिनस्थ न्यायालय तहसीलदार नागौर को प्रतिप्रेषित कर निर्देश दिये जाते है कि वह प्रकरण से संबंधित रिकार्ड का अवलोकन कर इस निर्णय की प्रति प्राप्त होने की दिनांक से 15 दिवस के भीतर–भीतर पुनः नये सीरे से विधि सम्मत निर्णय पारित करे। अधिनस्थ न्यायालय को उनका मूल रिकार्ड लौटाते हुए निर्णय की प्रति पालनार्थ भिजवाई जावे।

निर्णय सुनाया गया।

(डॉ0जितेन्द्र कुमार सोनी)
जिला कलक्टर, नागौर

Signature Not Verified

Digitally signed by Jitendra Kumar Soni
Date: 2021.04.07 15:27:37 IST
Reason: SelfAttested